उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024461
Website: www.upmedicalcouncil.org Email: upmedicalcouncil@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–6396/25 दिनांक 16-07-25

विदेशों से उत्तीर्ण FMG अभ्यर्थियों की इन्टर्नशिप हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग (जून–2025) की द्वितीय चक्र के सम्बन्ध में सूचना।

विदेशों से उत्तीर्ण FMG अभ्यर्थियों की इन्टर्नशिप हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की द्वितीय चक्र की च्वॉइस फिलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया हेतु कार्यालय के पत्रांक संख्या–6129/25 दिनांक 08.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में निम्नलिखित संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. विदेशों से उत्तीर्ण FMG अभ्यर्थियों की इन्टर्नशिप हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग (जून–2025) में सम्मिलित **जिन्होंने Document Verification की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है** ऐसे सभी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिभाग करने हेतु **अर्ह** होगें।

2. प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटित अथवा योगदान की प्रक्रिया पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को भी इन्टर्नशिप हेतु आवंटित मेडिकल कॉलेज को परिवर्तन (Reshuffle) करने हेतु पुनः विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. कार्यालय के पत्रांक संख्या–6129/25 दिनांक 08.07.2025 के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु किये गये च्वाइस फिलिंग (दिनांक 11.07.2025 – 17.07.2025 तक पूर्व निर्धारित) को निरस्त करते हुये पुनः पोर्टल उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने च्वाइस फिलिंग पुनः किया जाना सुनिश्चित करें।

4. अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चक्र की च्वॉइस फिलिंग हेतु बिन्दु संख्या–11 में इगिंत सारणी के अनुसार पुनः पोर्टल उपलब्ध कराया जायेगा।

5. द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेजों की उपलब्ध सीटों पर च्वॉइस फिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी दिनांक 23.07.2025 तक अपनी च्वॉइस फिलिंग करते हुए च्वॉइस लॉक अवश्य करें।

6. सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने वरीयता के क्रम में चयन करते हुए च्वाइस लॉकिंग करें, आंशिक रूप से किये गये च्वाइस लॉकिंग को आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया

जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में इन्टर्नशिप हेतु अपनी योगदान प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तथा द्वितीय चक्र में उसके द्वारा आंशिक रूप से च्वाइस लॉकिंग किया जाता है उसके द्वारा च्वाइस लॉकिंग को आवंटन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा, ऐसी स्थिति में प्रथम चक्र की आवंटित मेडिकल कॉलेज पर उसका आवंटन यथावत् रहेगा।

7. यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसको प्रथम चक्र की काउंसलिंग में कोई इन्टर्नशिप हेतु कोई मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनः च्वाइस फिलिंग करते हुए उसे जो मेडिकल कॉलेज आवंटित होता है उसी पर उसका दावा मान्य होगा, पूर्व में आवंटित मेडिकल कॉलेज पर उसका आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं उस पर उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

8. सीटों का आवंटन च्वॉइस लॉकिंग के आधार पर किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (UP Domicile) के अभ्यर्थियों की वरीयता को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी, तत्पश्चात् शेष रिक्त सीटों पर ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं (Non Domicile) का आवंटन किया जायेगा।

9. ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन (Reshuffle) के लिए पुनः च्वाइस लॉक करते है को यदि प्रथम चक्र में आवंटित मेडिकल कॉलेज ही द्वितीय चक्र में आवंटित होता है **अथवा** प्रथम चक्र में आवंटित मेडिकल कॉलेज से भिन्न मेडिकल कॉलेज द्वितीय चक्र में आवंटित होता है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों की प्रथम चक्र की योगदान आख्या के अनुसार इन्टर्नशिप समयावधि को शून्य माना जायेगा तथा इन्टर्नशिप समयावधि की गणना द्वितीय चक्र की योगदान आख्या के आधार पर की जायेगी।

10. **अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिसने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में इन्टर्नशिप हेतु मेडिकल कॉलेज का आवंटन हो चुका है, को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित दिशा–निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् ही आवेदन करें। आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का दावा/परिवर्तन मान्य नही होगा।**

11. द्वितीय चक्र की संशोधित समय–सारिणी निम्नवत् है :–

SR. NO.	DESCRIPTION	TIME LINES
1	CHOICE FILLING	17.07.2025 – 23.07.2025
2	SEAT ALLOTMENT	24.07.2025
3	ALLOTMENT LETTER DOWNLOAD & REPORTING AT COLLEGE - CANDIDATE	24.07.2025 – 31.07.2025

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल।